"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 163] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 23 अप्रैल 2013—वैशाख 3, शक 1935

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-24/2013/वा.क. (आब.)/पांच (32).—छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 8 के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा प्ररूप एफ. एल. 5क में मंजूर की जाने वाली आकस्मिक अनुज्ञप्ति के लिए अनुज्ञप्ति फीस के रूप में रुपये 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) प्रतिदिन विहित करता है. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2013

क्रमांक एफ 10-24/2013/वा.क. (आब.)/पांच (32).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (तीन) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-24/2013/वा.क. (आब.)/पांच (32), दिनांक 23-04-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 23rd April 2013

NOTIFICATION

No. F 10-24/2013/CT (Ex)/V (32).—In exercise of the powers conferred by Sub-Rule (2) of Rule 8 of the Chhattisgarh Foreign Liquor Rules, 1996 the State Government hereby, prescribes the fee of F. L.-5A License as Rs. 10,000/- (Rs. Ten Thousand only) per day. This notification shall come into force with effect from the 01st April, 2013.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.